सचिका स0–07 / बजट–46–02 / 2022 – 495(7)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शैलेश कुमार,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वारा:– सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक– 10 / 03 / 2025

विषयः–राज्य के सुपौल जिला में लोहिया चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त मॉडल प्राक्कलन के आधार पर रु0 603,68,00,000/–(रुपये छः सौ तीन करोड़ अरसठ लाख) मात्र की लागत पर की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2024–25 में भारत सरकार के **"Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 Under Part-I"** के तहत द्वितीय किस्त के रूप में इस परियोजना हेतु कुल रु० 5,00,00,000/–(रुपये पाँच करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सबध मे कहना है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 मे बिहार चिकित्सा सेवाऍ एव आधारभूत सरचना निगम लि0, पटना द्वारा इस योजना अर्थात् लोहिया चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, सुपौल में 150 नामाकन क्षमता के साथ 630 बेड के अस्पताल के भवन निर्माण हेतु उपलब्ध कराये गये रु० 603,68,00,000/–(रुपये छ सौ तीन करोड अरसठ लाख) मात्र का तकनीकी अनुमोदन प्राप्त मॉडल प्राक्कलन (प्रारभिक परियोजना प्रस्ताव) की स्वीकृति विभागीय राज्यादेश संख्या–108(7) दिनांक–11 07 2022 के द्वारा दी गयी है।

2– भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्रांक– F No 44(1)/PF-S/2024-25(CAPEX)-Bihar, Date 08 08 2024 द्वारा स्वास्थ्य विभाग को कुल 700 00 करोड के स्कीमो की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृत कुल राशि मे से वर्णित स्कीम हेतु कुल 30 00 करोड की स्वीकृति है। उक्त स्वीकृत कुल राशि अंतर्गत भारत सरकार, वित्त मत्रालय के पत्राक– F No 44(1)/PF-S/2024-25(CAPEX)-SACE-48, Dated 20 01 2025 एव वित्त विभाग के पत्राक–55/वि०, दिनाक–21 01 2025 के द्वारा ''Under Part-I'' के तहत द्वितीय किस्त के रूप मे स्वास्थ्य विभाग को 238 00 करोड मात्र की राशि की भुगतान की स्वीकृति दी गयी है। विदित हो कि वित्त विभाग पत्र सख्या– 481/वि० दिनाक–09 08.2024 के आलोक Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25''Under part-I के तहत प्रथम किस्त के रूप में विभिन्न स्वीकृत स्कीम अंतर्गत कुल रू० 462.00 करोड व्यय की स्वीकृति दी जा चुकी है।

3–इस योजना हेतु अब तक आवंटित राशि का विवरण निम्नरुपेण है–

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	राशि (रु0 में)	व्ययादेश सं0 एव दिनांक
1	2023–24	5,00,00,000	सं0–195(7), दिनांक–28.08 2023
2	2023–24	20,00,00,000	सं0–641(7), दिनाक–14 03.2023
3	2024–25	1,50,00,000	स0–80(7), दिनाक–25 06 2024
4	2024–25	25.00.00,000	सं0–131(7), दिनाक–16 08 2024
5	2024–25	25,00,00.000	स0–151(7), दिनाक–29 08 2024
6	2024–25	42,66,00,000	स0–306(7), दिनाक–23 12.2024
	कुल–	**1,19,16,00,000**	

4– उक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य के सुपौल जिला में लोहिया चिकित्सा महाविद्यालय एव अस्पताल के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाऍ एव आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त मॉडल प्राक्कलन के आधार पर रु0 603,68,00,000/–(रुपये छः सौ तीन करोड अरसठ लाख) मात्र की लागत की प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2024–25 में भारत सरकार के "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 Under

Part-I" के तहत प्रथम किस्त से 25.00 करोड की व्यय की स्वीकृति दी जा चुकी है। वर्ततान मे द्वितीय किस्त के रूप मे इस परियोजना हेतु अवशेष राशि रु० 5,00,00,000/–(रुपये पॉच करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5–कार्यकारी एजेन्सी, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत सरचना निगम लि0, पटना द्वारा योजना का क्रियान्वयन/राशि का व्यय, स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश सं0–108(7), दिनाक–11.07.2022 में निहित शर्तों के आधार पर कराया जायेगा।

6–यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2), दिनांक–17.04.98, 2880/वि0(2), दिनांक–06.05.06, 2938/वि0(2), दिनाक–08.04.08, 3758/वि0, दिनाक–31.05.2017 ,7111/वि०(2), दिनांक–28.07.2022 एवं 12888/वि0, दिनाक– 03.12.2024 के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है।

7– इस व्यय का वहन मॉग सख्या–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–03–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, 050 भूमि–0103–नये चिकित्सा महाविद्यालय एवं पारा मेडिकल सस्थान हेतु, विपत्र कोड–20–4210030500103, विषय शीर्ष–53 01 मुख्य निर्माण कार्य में वित्तीय वर्ष 2024–25 मे द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से विकलनीय होगा।

8– इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होगे तथा नियत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

9–वित्त विभागीय पत्र सख्या–632/वि०, दिनाक–04.07.2023 के क्रम में निर्गत वित्त विभागीय पत्र सख्या–10792/वि०, दिनाक–06.12.2023 के क्रम मे "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 Under Part-I" के लिए पूजीगत परियोजनाओ से सबंधित चालू योजनाओ के वित्त पोषण हेतु लोन की राशि से बकाया भुगतान के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी०एल० खाता मे हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को संबधित बैक खाते मे हस्तान्तरित कर व्यय किया जाना है। अतएव अवर सचिव सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 मे तैयार विपत्र के माध्यम से राशि निगम के पी0एल0 एकाउन्ट स0–PBBPLA007 विपत्र कोड–00-8448001110002-0001के अन्तर्गत ledger ID----------मे जमा करेगे, जिसे कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी०एल० खाता में हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को सबधित बैक खाते मे हस्तान्तरित कर दिशा–निर्देश के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए व्यय करेगे।

10–वित्त विभागीय पत्राक–432/वि०, दिनाक–29.03.2023 एव पत्राक–55/वि०, दिनाक–21. 01.2025 के आलोक में ससमय उपयोगिता प्रमाण–पत्र GFR 12B मे विभाग के माध्यम से विहित प्रपत्र में तैयार कर वित्त विभाग को निगम के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते मे प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र मे ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेगे एव इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेगे

11– इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी। राशि की निकासी के मामले मे महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12–प्रस्ताव एव प्रारूप पर माननीय मत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

13–प्रारूप मे सहायक आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/ आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–07/बजट–46–02/2022 के पृष्ठ–36/टि0 में प्राप्त है।

14–यह मात्र स्वीकृत्यादेश है। आवंटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

10/3/25

(शैलेश कुमार)
सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापाक –07 / बजट–46–02 / 2022 – 495(7) / स्वा0, पटना, दिनांक–10 / 03 / 2025

प्रतिलिपि– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार,वीरचन्द पटेल पथ, पटना / योजना एव विकास विभाग, बिहार, पटना / वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाऍं एवं आधारभूत सरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना / अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटनाको सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–प्रमंडलीय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा / जिला पदाधिकारी, सुपौल / असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा0 मत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाऍं, बिहार, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी–7, स्वास्थ्य विभाग / लेखा शाखा (दो प्रतियो में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के निदेश के साथ प्रेषित।

10/3/25

सरकार के अपर सचिव।